संख्या–3600 / 9–आ–3–99.20 एल0 ए0 / 1992

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव, आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. **आवास आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 16 अक्टूबर, 1999

विषय :– निबन्धित सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर नीति निर्धारित करते हुए पूर्व में जारी शासनादेश संख्या : 1470/9.आ.3.98. 20एल0ए0 92ए

दिनांक 02.6.98 में यह व्यवस्था है कि यदि धारा–4/17 के अन्तर्गत भूमि अर्जन की विज्ञप्ति से पूर्व सहकारी आवास समिति ने भूमि क्रय कर ली हो तो समायोजन की सुविधा अनुमन्य हो सकती है किन्तु देखने में यह आया है कि भू–अर्जन प्रस्ताव से लेकर धारा–4 की अधिसूचना जारी होने में वर्तमान परिस्थितियों में लगभग दो वर्ष तक का समय लग जाता है जिसके फलस्वरूप सहकारी समितियों द्वारा अनुचित लाभ उठाने की दृष्टि से वहाँ भूमि क्रय करना आरंभ कर दिया जाता है।

उक्त स्थिति के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सहकारी आवास समितियों के समायोजन की सुविधा तभी अनदुमन्य की जाय जब उन्होंने भूमि धारा–4 की विज्ञप्ति के दिनांक से कम से कम 18 माह पूर्व पंजीकृत बैनामे द्वारा क्रय की हों। पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 2 जून, 1998 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या–3600(1) / 9–आ–3–99 तददिनाँक।

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि0 लखनऊ।
(4) आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम,
उप सचिव।